



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-783

New Delhi: 29.10.2020

श्री राजबहादुर सिंह

पुत्र रामेश्वर सिंह

नि० कला का पुरवा पो० भीमसेन

कानपुर नगर-209305

मोबाइल-7376544692

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 12.10.2020 जो इस कार्यालय में दिनांक 19.10.2020 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त जानकारी संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिब्र

समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,

5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,

प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001


29.10.2020

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707

संलग्न: 01 पृष्ठ.

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयपांचवा तल :, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110001 -

Regd. & Corporate Office: 5th Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

Tel:23454700-11-91+ :, Fax 23454701-011 :Web :www.dfccil.gov.in CIN :U 60232 DL2006 GOI155068

No.: ALD (W)EN/RTI/49-(Vol-IV)/501

Date: 27.10.2020

एस. के. रॉय
डी.जी.एम/एडमिन (पी.आई.ओ.)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
नई दिल्ली।

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री राज बहादुर सिंह द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में।


संदर्भ: प्रधान कार्यालय पत्रांक 2020/HQ/ADMIN/RTI-783 दिनांक 19.10.2020।

महोदय,

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राजबहादुर सिंह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक/इंजी० कानपुर को आवेदन प्रतिप्रेषित किया गया था, अतः आवेदककर्ता को वांछित सूचना, परियोजना प्रबंधक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना पर आधारित है, जिसका विवरण बिन्दुवार निम्नवत् है:-

1. प्रार्थना पत्र के बिन्दु 1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भूमि अधिग्रहण एवं परिसम्पत्तियों आदि के भुगतान की कार्यवाही रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के अन्तर्गत प्राविधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) कानपुर नगर कार्यालय द्वारा की गई है। उपरोक्त अर्जित भूमि का नामान्तरण भारत सरकार रेल मंत्रालय के नाम दर्ज है।
2. प्रार्थना पत्र बिन्दु 2 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रामपुर भीमसेन, तहसील सदर, जनपद कानपुर नगर के गाटा संख्या 792 से पुर्नग्रहित रकबा 0.3070हे० एवं काश्तकरों का रकबा 0.0300हे० का अधिग्रहण रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के अन्तर्गत प्राविधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) कानपुर नगर द्वारा किया गया है।

संलग्नक: यथोक्त।


(अजीत कुमार सिंह)
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
इलाहाबाद (पश्चिम)